

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 340 बेमेतरा, गुरुवार 06 अगस्त 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रुपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

पहला कॉलम

जेन-ज़ेड को टारगेट करने का प्लान! जैश आतंकी हमीम मंडल, अर्पिता से पूछताछ

कोलकाता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के मुताबिक, गिरफ्तार किए दो लोग, हमीम मंडल और अर्पिता से पूछताछ में जैश-ए-मोहम्मद और आईएसआई से उनके कथित लिंक के बारे में कई अहम सुराग मिले हैं। एनआईए अधिकारियों को शक है कि बंगाल के युवाओं को टारगेट करके एक कट्टरपंथी नेटवर्क बनाने की एक संगठित प्रयास चल रहा था। इसके बारे में विस्तार से पता लगाने के लिए उनसे कड़ी पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने कथित जासूसी नेटवर्क की जांच के सिलसिले में सोमवार को हावड़ा से आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध गुर्गों हमीम मंडल के एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान आदित्य सिंह उर्फ राज उर्फ राजू के रूप में हुई है

शेख हसीना की पार्टी पर लगी पाबंदियां हटे तसलीमा नसरीन

कोलकाता। बांग्ला की प्रसिद्ध लेखिका तसलीमा नसरीन ने आज कहा कि, बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी पर लगी पाबंदियां हटाना चाहिए और उन्हें दोबारा राजनीति में आने दिया जाना चाहिए। तसलीमा ने धर्म आधारित राजनीति का विरोध करते हुए कहा कि यह महिलाओं के अधिकारों और समाज, दोनों के लिए नुकसानदेह है। तसलीमा नसरीन ने उक्त बात उत्तर 24 परगना जिले के सोदपुर स्थित पानीहाटी उच्च बालिका विद्यालय में महिला शिक्षा की अग्रदूत बेगम रुकैया सखावत हुसैन की समाधि पर पुष्प अर्पित करने के बाद कही। तसलीमा नसरीन ने अपने वतन बांग्लादेश लौटने को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी अभी भी अनिश्चित है। तसलीमा ने कहा कि यदि जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उनके अनुसार, यह संगठन शरीयत कानून और महिला विरोधी नीतियों का समर्थन करता है, जो महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए खतरा बन सकती हैं।

आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान एम्स ने कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आसाराम को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उनकी सेहत को देखते हुए 24 घंटे प्रशिक्षित देखभाल करने वालों (केयरगिवर्स) की मदद जरूरी है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आसाराम कई तरह की बीमारियों से पीड़ित है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एम्स की रिपोर्ट में आसाराम की बीमारियों का भी जिक्र किया गया है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वयंभू संत आसाराम कई बीमारियों से पीड़ित है।

मोदी सरकार ने संसद में नया विधेयक पेश किया

संसद में विधेयक पेश-2000 रुपये यूपीआई ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगेगा

नई दिल्ली/ एजेंसी

ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने वाली मोदी सरकार अब उसे सरकारी तिजोरी भरने का जरिया के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है। जी हां मोदी सरकार यूपीआई पेमेंट के नियम में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत 2000 रुपये से लेकर उससे अधिक के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगेगा। मोदी सरकार ने संसद में नया विधेयक पेश किया है, जिसके तहत एमडीआर चार्ज की वापसी हो रही है। इसके तहत 2000 रुपये के ऊपर पेमेंट पर चार्ज देना होगा। वित्त मंत्रालय ने संसद में भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2027 पेश किया है। इस बिल के तहत मर्चेंट डिस्काउंट रेटलागू करने की बात कही गई है। यह चार्ज 2000 रुपये से ज्यादा की लिमिट पर लागू किया जा सकता है। इसका मतलब लोगों को एमडीआर चार्ज देना होगा। हालांकि राहत वाली बात यह है कि यह सभी लोगों पर लागू नहीं होगा। आम यूजर्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। यह चार्ज सिर्फ बड़े व्यवसाय से जुड़े लोगों पर लगेगा। दूध, सब्जियां, किराने का सामान जैसी रोजमर्रा की खरीदारी और ऑटो रिक्शा व टैक्सि के किराए पर इसका असर पड़ने की



संभावना नहीं है। मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्ताव मुख्य रूप से 2,000 से अधिक के व्यापारी लेनदेन और बड़े कमर्शियल संस्थानों को टारगेट करता है। इससे कंज्यूमर ट्रू कंज्यूमर्स के बीच हुए ट्रांजेक्शन को छूट होगा। अगर आप 2000 रुपये से ज्यादा का भी पेमेंट करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। सामान्य यूपीआई सीमा 1 लाख प्रतिदिन पेमेंट कर सकते हैं और कुछ स्पेशल कैटेगरी (जैसे अस्पताल, शिक्षा, टैक्स) में इससे कहीं अधिक सीमा तक पेमेंट कर सकते हैं। यह मुख्य तौर पर बैंक, यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर, मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम, भीम यूपीआई के माध्यम से छोटे भुगतान स्वीकार

करने वाले व्यापारियों पर पड़ता है, क्योंकि इंसेंटिव इन्हीं ट्रांजेक्शनों के आधार पर दिया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक, 95 फ़ीसदी 2000 रुपये से ज्यादा की लिमिट से कम वाले ही ट्रांजेक्शन होते हैं। सिर्फ 5 फ़ीसदी ही ट्रांजेक्शन 2000 रुपये से ज्यादा का होता है। इसका मतलब है कि इन 5 फ़ीसदी ही मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर ये चार्ज लागू होगा। रिपोर्ट के अनुसार, 2000 रुपये से ऊपर के व्यावसायिक लेन-देन पर प्रस्तावित शुल्क 0.25 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत तक हो सकता है, और 25-30 बेसिस पॉइंट्स तक के शुल्क पर भी चर्चा चल रही है। इसके लागू होने की समयसीमा पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

गलतियां बताए तो राम-विरोधी, करणन बताए तो देश-विरोधी!

संसद के बाहर कांग्रेस का बड़ा मार्च

दिल्ली में मानसून सत्र के दौरान आज भी संसद के बाहर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी वाड़ा और अन्य विपक्षी सांसदों ने प्रेरणा स्थल पर गांधी जी की प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने मार्च के दौरान कहा कि हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री और गुह मंत्री सदन में आए और बयान दें। अगर चर्चा होती है, तो हम उसमें शामिल होने को तैयार हैं। चर्चा से ही समाधान निकल सकता है। अगर चर्चा नहीं होगी, तो वे घर पर बैठकर बयान देंगे या चुप रहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वे संसद का अपमान कर रहे हैं। वे सदन के अंदर नहीं आना चाहते। संसद शुरू हुए इतने दिन हो गए हैं। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप क्यों नहीं आ रहे हैं? संसद के बाहर कांग्रेस का यह मार्च 20 जुलाई को सीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 'पुलिस कार्रवाई', अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में निकाला गया।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा

अधिग्रहण और मुआवजा दिए बिना जमीन के उपयोग पर नहीं लगाई जा सकती रोक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अधिग्रहण और मुआवजा दिए बिना भूमि के उपयोग पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश को मनमाना बताया। रायगढ़ जिले में कलेक्टर ने 4 फ़रवरी 2005 को रायगढ़-रेगपाली, रायगढ़-खरसिया, रायगढ़-सारगढ़ और रायगढ़-धर्मजयगढ़ राष्ट्रीय राजमार्गों की सेंटर लाइन से 100 फीट के दायरे में आने वाली जमीनों के ऋय-विक्रय और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस आदेश को मनमाना बताते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी है। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पूर्व फैसले को अलग भूखंडों और अलग याचिकाकर्ताओं से संबंधित बताते हुए वर्तमान मामले में स्वतः लागू नहीं होने की दलील दी। कोर्ट ने पाया कि कानूनी स्थिति पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है। हालांकि, शासन की ओर से ऐसा कोई ठोस अंतर नहीं बताया जा सका, जिसके

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस आदेश को मनमाना बताते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी है। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पूर्व फैसले को अलग भूखंडों और अलग याचिकाकर्ताओं से संबंधित बताते हुए वर्तमान मामले में स्वतः लागू नहीं होने की दलील दी। कोर्ट ने पाया कि कानूनी स्थिति पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है। हालांकि, शासन की ओर से ऐसा कोई ठोस अंतर नहीं बताया जा सका, जिसके



आधार पर वर्तमान मामले में अलग निकर्ष निकाला जाता। हरिकृष्णा पटेल व अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच के 3 फ़रवरी 2025

के फैसले का हवाला दिया। एकल पीठ ने कहा कि पूर्व में इसी आदेश के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा कानूनी स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। वर्तमान मामले में उससे अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई विशिष्ट आधार सामने नहीं आया है। इस निर्णय से उन भूमिस्वामियों को राहत मिलती है, जिनकी जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग की सेंटर लाइन से 100 फीट के दायरे में होने के कारण लंबे समय से खरीद-बिक्री और निर्माण संबंधी प्रतिबंधों से प्रभावित थी।

ई-20 डीपफेक केस में गडकरी को राहत

सोशल मीडिया प्लेफार्मस तुरंत हटाएं सभी पोस्ट.....

नई दिल्ली। ई-20 डीपफेक केस में नितिन गडकरी को राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नितिन गडकरी के खिलाफ ऑनलाइन डीपफेक पोस्ट को अश्लील, अपमानजनक और मान हानिकारक बताते हुए सोशल मीडिया प्लेफॉर्मस को उन्हें हटाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने गडकरी को मेटा प्लेटफॉर्म, एक्स कॉर्प, गूगल और अनजान ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ बदनाम करने और एंडेंट किए गए सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सिविल केस करने की इजाजत दी है। दरअसल केंद्रीय



मंत्री नितिन गडकरी ने ई20 से जोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित मानहानिकारक और डीपफेक कंटेंट के खिलाफ मानहानि याचिका दाखिल की थी।

साय कैबिनेट की बैठक संपन्न

छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी

रायपुर/ संवाददाता

मंत्रिपरिषद् ने 'छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन' को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में सुरासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह मिशन 5 वर्षों के लिए होगा, जिस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस मिशन के तहत – 100 एआई डेटा लैब बनाई जाएंगी, 5

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के कार्यों को आसान और तेज़ बनाने के लिए 50 से अधिक एआई आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी। यह मिशन भारत सरकार के IndiaAI Mission के अनुरूप छत्तीसगढ़ को उत्तरदायी, नवाचार-आधारित

और भविष्य उन्मुख डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैनुफैक्चरिंग संयंत्र की स्थापना के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बीईएमएल भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित मिनीरब सार्वजनिक उपक्रम है। हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैनुफैक्चरिंग संयंत्र हेतु



यह राज्य का पहला उद्योग होगा, देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई जिसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ को पहचान मिलेगी और राज्य में

आधुनिक भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत होगी। मंत्रिपरिषद् के इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य में बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। राज्य में संयंत्र की स्थापना से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ विनिर्माण (मैनुफैक्चरिंग)

क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। मंत्रिपरिषद् ने लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क्स एण्ड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू करने के प्रथम चरण को मंजूरी दी है। इस प्रणाली के माध्यम से कार्यों की स्वीकृति, ई-प्राक्लन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन तथा गुणवत्ता की निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएं एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी।



संपादकीय

सरकार अब ईंधन की खपत और वाहनों से प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन सड़क हादसों के मूल प्रश्न पर ध्यान कम ही दिया जा रहा है।दुर्घटनाओं के इन आंकड़ों से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार के लिए सिर्फ सड़कों का निर्माण ही प्राथमिकता है, सुरक्षा के पहलू का उसके लिए कोई महत्त्व नहीं है? सड़क एवं परिवहन

सुविधाओं का विकास किसी भी देश की प्रगति, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक उत्थान की रीढ़ होता है। व्यापार को गति देने, दूरदराज के क्षेत्रों को आपस में जोड़ने और आम जनजीवन को सरल बनाने में इसकी अहम भूमिका होती है। भारत में भी नई सड़कों के निर्माण और पहले से बने मार्गों के चौड़ीकरण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि विकास के इस पथ पर सुरक्षित सफर की प्रतिबद्धता पीछे क्यों छूटती जा रही है?एक

तरफ केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ देश भर में सड़क दुर्घटनाएं साल-दर-साल बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बोते गुरुवार को लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए गए, वे स्थिति के भयावह होने की ओर इशारा करते हैं। मंत्रालय के मुताबिक, देश में वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में 5.3 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।

इस दौरान 5.13 लाख से ज्यादा सड़क हादसे हुए, जिनमें 1.83 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई।दुर्घटनाओं के इन आंकड़ों से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार के लिए सिर्फ सड़कों का निर्माण ही प्राथमिकता है, सुरक्षा के पहलू का उसके लिए कोई महत्त्व नहीं है? कहने को सरकार की ओर से सड़क हादसों को कम करने के लिए कई योजनाएं, कार्यक्रम और विशेष अभियान शुरू किए गए हैं, फिर क्या वजह है कि

सड़कों पर लोगों की जान जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है।पिछले वर्ष देश में वाहनों की तेज रफ्तार के कारण सबसे ज्यादा 82 हजार से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जो कुल सड़क हादसों का लगभग सोलह फीसद है। इस मामले में देखा जाए, तो राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरी क्षेत्र की सड़कों पर जगह-जगह वाहनों की गति मापने के लिए सीसीटीवी और दूसरे यंत्र लगाए गए हैं। ऐसे में अगर आज भी सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं वाहनों की तेज

गति के कारण ही हो रही हैं, इसे किस तरह देखा जाएगा। जाहिर है कि जब किसी व्यवस्था की सही तरीके से निगरानी, देखरेख और उसके आधार पर ईमानदारी से सुधार की दिशा में कार्य नहीं होगा, तो सकारात्मक नतीजे की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है।सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि गलत दिशा में वाहन चलाने और लेन के नियमों का पालन न करने के कारण पिछले वर्ष करीब चार हजार सड़क दुर्घटनाएं हुईं।

आंदोलन की संस्कृति: अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी आवश्यक

(ललित गर्ग)

आज आवश्यकता इस बात की है कि आंदोलन की संस्कृति पर पुनर्विचार किया जाए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की ऐसी परंपरा विकसित की थी, जिसमें नैतिक बल सबसे बड़ा हथियार था। सत्याग्रह में विरोध था, परंतु वैमनस्य नहीं। संघर्ष था, परंतु हिंसा नहीं। दृढ़ता थी, परंतु अराजकता नहीं।

भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि संवाद, असहमति और संवैधानिक मर्यादाओं का जीवंत तंत्र है। इस व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी मांगों और विचारों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार प्राप्त है। संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार दिया है, लेकिन यह अधिकार कभी भी हिंसा, अराजकता, सार्वजनिक संपत्ति के विनाश या सुरक्षा बलों पर हमले का लाइसेंस नहीं बन सकता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह विरोध को भी सम्मान देता है, किंतु विरोध की भी अपनी सीमाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। हाल के वर्षों में कुछ आंदोलनों ने यह गंभीर प्रश्न खड़ा किया है कि क्या लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में कानून और व्यवस्था को चुनौती देना स्वीकार्य हो सकता है? यदि कोई प्रदर्शन बैरिकेड तोड़ने, पुलिस पर हमला करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थान की ओर जबरन बढ़ने का प्रयास करे, तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे केवल मूकदर्शक बनी रहें। राज्य का पहला दायित्व नागरिकों की सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैलेट गन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए यह कहना कि असाधारण परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसी संतुलित दृष्टिकोण का परिचायक है। न्यायालय ने किसी भी प्रकार के असीमित बल प्रयोग को उचित नहीं ठहराया, बल्कि यह स्पष्ट संकेत दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के पास आवश्यक साधन भी होने चाहिए। यदि सुरक्षा बलों से हर प्रभावी उपाय छीन लिया जाएगा, तो हिंसक भीड़ पर नियंत्रण कैसे स्थापित होगा? यह प्रश्न केवल सरकार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को असीमित अधिकार मिल जाते चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक कार्यवाही न्यायिक समीक्षा और जवाबदेही के दायरे में रहती है। यदि कहीं बल प्रयोग आवश्यकता से अधिक हुआ हो, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही भी होनी चाहिए। लेकिन जांच का आधार तथ्य होने चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं। जिस प्रकार प्रदर्शनकारियों की पीड़ा सुनी जानी चाहिए, उसी प्रकार घायल हुए पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों का पक्ष भी उतनी ही गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि आंदोलन की संस्कृति पर पुनर्विचार किया जाए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की ऐसी परंपरा विकसित की थी, जिसमें नैतिक बल सबसे बड़ा हथियार था। सत्याग्रह में विरोध था, परंतु वैमनस्य नहीं। संघर्ष था, परंतु हिंसा नहीं। दृढ़ता थी, परंतु अराजकता नहीं। दुर्भाग्य से आज कुछ आंदोलनों में संवाद की जगह टकराव, संयम की जगह उग्रता और तर्क की जगह भीड़ की शक्ति को महत्व दिया जाने लगा है। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में परिवर्तन सड़क पर पथर फेंकने से नहीं, बल्कि विचार, संगठन, जनजागरण और संवैधानिक प्रक्रियाओं से आता है। यदि हर असहमति हिंसक रूप ले लेगी, तो सबसे अधिक नुकसान उन्हीं युवाओं का होगा, जिनके

भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि संवाद, असहमति और संवैधानिक मर्यादाओं का जीवंत तंत्र है। इस व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी मांगों और विचारों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार प्राप्त है। संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार दिया है, लेकिन यह अधिकार कभी भी हिंसा, अराजकता, सार्वजनिक संपत्ति के विनाश या सुरक्षा बलों पर हमले का लाइसेंस नहीं बन सकता । लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह विरोध को भी सम्मान देता है, किंतु विरोध की भी अपनी सीमाएं और जिम्मेदारियां होती हैं।

भविष्य के नाम पर आंदोलन किए जाते हैं। लोकतंत्र की रक्षा भावनाओं से नहीं, बल्कि अनुशासन और उत्तरदायित्व से होती है। यदि यह मान लिया जाए कि किसी राजनीतिक दल या उसके समर्थकों द्वारा आयोजित आंदोलन में कुछ असामाजिक और हिंसक तत्वों ने प्रवेश कर उसे अराजक दिशा देने का प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में सरकार का प्राथमिक दायित्व कानून-व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। समय रहते प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही, भले ही

अंततः लोकतंत्र ही कमजोर होता है। सरकारों को भी यह आत्ममंथन करना चाहिए कि जनआक्रोश की स्थितियां क्यों बनती हैं। संवाद के द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए। पारदर्शी निर्णय, समय पर संवाद और शिकायतों के समाधान की प्रभावी व्यवस्था अनेक आंदोलनों को उठा होने से पहले ही शांत कर सकती है। लोकतंत्र में शासन का अर्थ केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि विश्वास अर्जित करना भी है।

भविष्य के लिए कुछ स्पष्ट सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए।

प्रत्येक बड़े आंदोलन के लिए पूर्व अनुमति, निर्धारित मार्ग, आयोजकों की स्पष्ट जवाबदेही, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा की स्थिति में त्वरित पहचान और दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित हो। साथ ही पुलिस को भी भीड़ नियंत्रण के आधुनिक, वैज्ञानिक और न्यूनतम आवश्यक बल के सिद्धांतों पर निरंतर प्रशिक्षित किया जाए। इससे नागरिक अधिकारों और कानून-व्यवस्था के बीच बेहतर संतुलन स्थापित होगा। लोकतंत्र का सौंदर्य इस बात में नहीं कि कितनी जोर से नारे लगाए गए, बल्कि इस बात में है कि कितनी गंभीरता से संवाद हुआ। संवाद जनता की आकांक्षाओं का मंदिर है। यदि कोई समूह अपनी बात संसद तक पहुंचाना चाहता है, तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन संसद पर दबाव बनाने या उसे घेरने की संस्कृति लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करती है। लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि है, भीड़तंत्र नहीं।

आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ-साथ विश्वगुरु बनने की दिशा में भी अग्रसर है। ऐसे समय में हमें विरोध की भी ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी जो विश्व के सामने अनुरूपणीय उदाहरण प्रस्तुत करे। हमारे आंदोलन व्यवस्था को तोड़ने के नहीं, व्यवस्था को बेहतर बनाने के माध्यम बनें। हमारे प्रदर्शन रा्ट को विभाजित करने के नहीं, लोकतांत्रिक चेतना को समृद्ध करने के साधन बनें। अंततः यह स्मरण रखना होगा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब कर्तव्यों का भी समान रूप से पालन किया जाए। यदि आंदोलन संविधान की मर्यादाओं में रहकर होंगे, तो सरकार भी अधिक उत्तरदायी बनेगी और लोकतंत्र भी अधिक सशक्त होगा। भारत को ऐसे आंदोलनों की आवश्यकता है जो व्यवस्था को चुनौती देने के बजाय उसे सुधारने की प्रेरणा दें। जो युवाओं को उग्रता नहीं, उत्तरदायित्व सिखाएं और जो राष्ट्रहित को दलगत हितों से ऊपर रखकर लोकतंत्र को और अधिक परिपक्व, अनुशासित तथा जनोन्मुख बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। लेखक, प्रक्राकर, स्तंभकार है)। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।

परमाणु आत्मनिर्भरता- भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत और वैश्विक नेतृत्व की नई नींव

(विजन कुमार पांडेय)

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आज केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का भी आधार बन चुकी है। बदलती वैश्विक राजनीति, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बढ़ती निर्भरता ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन देशों के पास अपनी तकनीक और उत्पादन क्षमता है, वही भविष्य की वैश्विक व्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले सात दशकों में ऐसी ही क्षमता विकसित की है। मगर प्रश्न यह है कि क्या देश अपनी इस उपलब्धि को नीति-निर्माण के केंद्र में रख पा रहा है या विदेशी तकनीक का आकर्षण अभी भी स्वदेशी आत्मविश्वास पर भारी पड़ रहा है?

यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत की परमाणु यात्रा सामान्य नहीं रही। दुनिया के अधिकतर देशों ने जहां विकसित तकनीक के सहारे अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू किए, वहीं भारत को लंबे समय तक तकनीकी प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ा। वर्ष 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद और विशेष रूप से 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। परमाणु ईंधन, उन्नत उपकरणों और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच लगभग बंद हो गई।

उस समय यह माना गया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय तक पिछड़ जाएगा, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु ऊर्जा आयोग और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक और निजी उद्योगों के सहयोग से धीरे-धीरे ऐसी तकनीक विकसित की, जिसने विदेशी निर्भरता को काफी हद तक समाप्त कर दिया। रिएक्टरों के डिजाइन से लेकर भारी उपकरणों, नियंत्रण प्रणालियों और सुरक्षा

यह प्रश्न इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत की परमाणु यात्रा सामान्य नहीं रही। दुनिया के अधिकतर देशों ने जहां विकसित तकनीक के सहारे अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू किए, वहीं भारत को लंबे समय तक तकनीकी प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ा। वर्ष 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद और विशेष रूप से 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। परमाणु ईंधन, उन्नत उपकरणों और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच लगभग बंद हो गई।

तंत्र तक भारत ने अपनी क्षमता विकसित की।

वर्ष 2008 के भारत-अमेरिका व्यापार परमाणु समझौते ने भारत को वैश्विक परमाणु आपार व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान दिलाया और यूरेनियम आयात का मार्ग खोला। इससे उन परमाणु बिजलीघरों को राहत मिली जो ईंधन की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे थे। मगर इस समझौते की एक ऐसी व्याख्या भी सामने आई, जिसमें यह मान लिया गया कि अब भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी परमाणु संयंत्रों और तकनीकों पर निर्भर होना चाहिए।

सवाल है कि किसी देश ने कठिन परिस्थितियों में विश्वस्तरीय घरेलू तकनीक विकसित कर ली हो, तो क्या उसकी प्राथमिकता उसी क्षमता का विस्तार नहीं होनी चाहिए। भारत के स्वदेशी 'प्रेशराइड हेवी वाटर रिएक्टर' आज विश्व के सबसे किफायती परमाणु संयंत्रों में गिने जाते हैं। देश 700 मेगावाट क्षमता वाले आधुनिक रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है और आगे उनकी संख्या बढ़ाने की योजना भी है।

ऊर्जा क्षेत्र में लागत का बहुत महत्त्व होता है। किसी परियोजना की व्यावहारिकता केवल उसकी एकनौकी श्रेष्ठता से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से भी होती है कि वह कितनी किफायती है और उसके संचालन पर भविष्य में कितना व्यय होगा। यदि भारत कम लागत में

सुरक्षित और विश्वसनीय परमाणु संयंत्र बना सकता है, तो यह केवल घरेलू आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम नहीं, बल्कि वैश्विक अवसर भी है।

आने वाले वर्षों में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों को स्वच्छ और निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। भारत उनके लिए एक विश्वसनीय तकनीकी साझेदार बन सकता है।

इसी संदर्भ में हाल में तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े दस्तावेजों के कथित ट्रेड लोक की घटना ने एक नया सवाल खड़ा किया है। हालांकि सरकारी एजेंसियों ने स्पष्ट किया कि परमाणु संयंत्र के संचालन तंत्र, रिएक्टर नियंत्रण प्रणाली या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई संवेदनशील सूचना प्रभावित नहीं हुई। फिर भी यह घटना इसका संकेत देती है कि परमाणु क्षेत्र की सुरक्षा अब केवल ऊंची दीवारों, कड़े पहर और बहुस्तरीय भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गई है।

वास्तव में, परमाणु क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल स्वदेशी तकनीक विकसित करना नहीं, बल्कि उस तकनीक पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना भी है। सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और दूरसंचार की तरह परमाणु प्रौद्योगिकी की अब भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का महत्त्वपूर्ण आधार बन चुकी

है। ऐसे में यदि भारत अपनी मूलभूत ऊर्जा संरचना के लिए अत्यधिक विदेशी तकनीक या उपकरणों पर निर्भर रहता है, तो भविष्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय तनाव का प्रभाव उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है।

भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने अपनी परमाणु क्षमता को वैज्ञानिक अनुसंधान और घरेलू औद्योगिक सहयोग के आधार पर विकसित किया है। यही कारण है कि भारतीय परमाणु संयंत्रों की निर्माण लागत विश्व के कई विकसित देशों की तुलना में काफी कम मानी जाती है। लागत में यह प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त केवल आर्थिक लाभ नहीं देती, बल्कि भारत को वैश्विक बाजार में भी अलग पहचान प्रदान करती है।

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देश स्वच्छ तथा निरंतर ऊर्जा की तलाश में हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के महंगे परमाणु संयंत्र उनके लिए व्यावहारिक विकल्प नहीं हैं। भारत यदि अपनी तकनीक, निर्माण क्षमता और प्रशिक्षण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से विकसित करे, तो वह इन देशों का भरोसेमंद साझेदार बन सकता है।

भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडार हैं। यदि तीसरे चरण के परमाणु कार्यक्रम को अपेक्षित गति मिलती है, तो भारत न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को अधिक सुरक्षित ढंग से पूरा कर

सकेगा, बल्कि भविष्य की परमाणु प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा, आधुनिक विज्ञान साझेदारी और ज्ञान-विनिमय से आगे बढ़ता है। इसलिए जहां नई तकनीकों, सुरक्षा मानकों और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग भारत की क्षमता को मजबूत करता हो, वहां उसका स्वागत किया जाना चाहिए।

सरकार को इस दिशा में तीन स्तरों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला, स्वदेशी परमाणु उद्योग और अनुसंधान संस्थानों को दीर्घकालीन वित्तीय एवं नीतिगत समर्थन दिया जाए, ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तकनीक विकसित कर सकें। दूसरा, परमाणु क्षेत्र की साहजर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल संरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिससे कुडनकुलम जैसी घटनाओं से मिलने वाले सबक भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बना सकें। तीसरा, भारतीय परमाणु तकनीक को वैश्विक स्तर पर निर्यात योग्य बनाने के लिए कूटनीतिक, वित्तीय और औद्योगिक रणनीति तैयार की जाए। जिन परिस्थितियों में दुनिया ने भारत को तकनीकी रूप से अलग-थलग करने का प्रयास किया, उन्हीं परिस्थितियों में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं ने आत्मनिर्भरता की ऐसी नींव रखी, जो आज देश की सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी बन चुकी है। ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भारत के सामने चुनौती नई तकनीक खोजने की नहीं, बल्कि अपनी विकसित क्षमता पर विश्वास करने की है। परमाणु आत्मनिर्भरता की वास्तविक परीक्षा यही है कि वह अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों को केवल गर्व का विषय न बनाए, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय विकास और वैश्विक नेतृत्व का आधार भी बनाए।

